भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2716
मंगलवार, 19 दिसंबर, 2023/28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीएस द्वारा सेवाएं

2716. श्री छेदी पासवानः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी (पीएसीएस) को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं और हितधारकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पीएसीएस के माध्यम से प्रदान की जाने वाली नागरिक केंद्रित सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीवन प्रमाण-पत्र, ई-स्टांप, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि जैसी सेवाएं पीएसीएस के माध्यम से प्रदान की जा सकती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना से देश के किसानों को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): जी हां, मान्यवर। प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी-ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जो पैक्स को देश की ग्रामीण जनता को बैंकिंग, बीमा, आधार बनाने/अपडेट करने, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं, आदि सहित 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। 30 नवंबर, 2023 तक देश में कुल 24,470 पैक्स द्वारा सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू किया जा चुका है ।

सामान्य सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हुए पैक्स विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर सकेंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **प्रधानमंत्री कल्याण योजनाएं:** आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ई-श्रम पंजीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इत्यादि ।

ii. **केन्द्रीय सरकार संबंधी सेवाएं:** आधार, पैन कार्ड, जीवन प्रमाण, पासपोर्ट, जल एवं बिजली बिल भुगतान सेवा, ITR दाखिल करना, ई-स्टैंप, इत्यादि ।

iii. **राज्य सरकार संबंधी सेवाएं:** ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, PDS सेवाएं, नगरपालिका सेवाएं, इत्यादि ।

iv. **वित्तीय समावेशन संबंधी सेवाएं:** बैंकिंग, ऋण, बीमा, पेंशन, डिजिपे, FASTag, इत्यादि ।

v. **कृषि संबंधी सेवाएं:** सीएससी ई-एग्री पोर्टल, एग्री टेली- कंसल्टेंशन एवं ई-पशु चिकित्सा, मृदा परीक्षण केंद्र, किसान ई-मार्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, इत्यादि ।

vi. **ई-मोबिलिटी और स्मार्ट प्रोडक्ट:** ग्रामीण ई-मोबिलिटी डीलरशिप, स्मार्ट प्रोडक्ट, इत्यादि ।

vii. **अन्य सेवाएं:** स्त्री स्वाभिमान पहल, स्पर्श डिफेन्स पेंशन सेवा पोर्टल, मोबाईल, डीटीएच रिचार्ज और बिल भुगतान, इत्यादि ।

इस पहल से देश के किसानों को पैक्स स्तर पर ही उपर्युक्त वर्णित सेवाओं सहित 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी । इससे उनके जीवनयापन में सुधार आएगा । इसके अतिरिक्त, इनसे पैक्स को आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे, जिसके फलस्वरूप पैक्स से जुड़े करोड़ों लघु और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे ।

*****